न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

स्पेशल अपील/एलआर/5542/2006/बाड़मेर

1– मै0 माहेश्वरी गवार गम इण्डस्ट्रीज, गुढ़ामालानी जरिये मालिक सोहनलाल पुत्र लीलाधर माहेश्वरी, निवासी गुढ़ामालानी, जिला बाड़मेर।

––– अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गुढ़ामालानी जिला बाड़मेर।

––– रेस्पोडेंट

एकल पीठ
श्री गौरव बजाड़,सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः– 09.10.2025

यह स्पेशल अपील अन्तर्गत धारा 10 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 राजस्व मण्डल, अजमेर की एकलपीठ माननीय सदस्य श्री आर0एस0 अग्रवाल द्वारा अपील/एल0आर0/16/04/1989/बाड़मेर बउनवानी सरकार बनाम मै0 माहेश्वरी गवार गम में पारित निर्णय दिनांक 25–07–2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को मौजा गुढ़ा मालानी में स्थित आराजी खसरा नं0 1859/1683 में से 3 बीघा भूमि राजस्थान भू–राजस्व (ओद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1959 के तहत जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा दिनांक 19–12–1997 को आवंटित की गयी थी। आवंटित आराजी का नामान्तरकरण सं0 1719 दिनांक 16–09–1998 को अपीलांट

के पक्ष में स्वीकृत किया गया। अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर से लीज दस्तावेज निष्पादित करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 21–01–2004 द्वारा अपीलांट के हक में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 24–04–2004 से अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर, बाड़मेर के आदेश दिनांक 21–01–2004 को अपास्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25–07–2006 द्वारा रेस्पोडेन्ट की अपील स्वीकार कर ली गयी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त स्पेशल अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की स्पेशल अपील की ग्राह्यता पर बहस सुनी गयी।

4– अपीलांट की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि मण्डल द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। आवंटन की शर्त सं0 5 के उल्लंघन पर या पालना नहीं किये जाने के अभाव में आवंटन आदेश को निरस्त करके जिला कलक्टर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (उद्योग प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1959 के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है। आवंटन आदेश की शर्त सं0 8 के तहत आवंटन आदेश से उद्योग लगाने एवं उद्योग स्थापित करना दो वर्ष के भीतर आवश्यक है। दो वर्ष के भीतर उद्योग स्थापित नहीं किये जाने के अभाव में जिला कलक्टर को आवंटन की शर्तों जिसमें समयावधि दी हुई है, इस अवधि को बढ़ाने का अधिकार है जो जिला कलक्टर के स्वविवेक पर है। जिला कलक्टर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को लीज डीड आवंटन आदेश की शर्त 5 की पालना नहीं करने पर आवंटन को निरस्त कर दिया गया जबकि शर्त सं0 5 आवंटन में यह में आवश्यक नहीं है।

जिला कलक्टर को आवंटन निरस्त करने से पूर्व आवंटन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना आदेश पारित करना चाहिए था। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आवंटन नियम 1959 को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर के आदेश को अपास्त किया गया था। राजस्व मण्डल द्वारा केवल इसका उल्लंघन मानकर रेस्पो0 की अपील को स्वीकार कर नियमों के विपरीत अपना आदेश पारित किया है। जिला कलक्टर द्वारा अपने आदेश द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने की प्रवृति को प्रोत्साहित नहीं कर आदेश पारित कर एक प्रकार से प्रार्थी को हत्तोत्साहित किया गया है। जबकि बाड़मेर जिले में उद्योग हेतु आवंटित किये गये रकबे को निरस्त करने से पूर्व वहां की भौगोलिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अपीलांट द्वारा उक्त परिस्थितियों को बताते हुए लीज डीड निष्पादित करने में हुई देरी को क्षमा करने का निवेदन किया था। अपीलांट द्वारा लीज डीड समय पर निष्पादित नहीं किये जाने के अभाव में उद्योग नहीं लगाये जाने के कारण दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। इस आवंटन को निरस्त किये जाने से अपीलांट को अपूरणीय क्षति हुई है ना कि राज्य सरकार को।

इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त स्पेशल अपील को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का आदेश फरमावें।

अन्त में निवेदन किया है कि अपीलांट की स्पेशल अपील ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकार की जाकर राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-07-2006 को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट की अपील निरस्त की जावें।

5- प्रत्युत्तर में उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिये हैं कि राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-07-2006 उचित व विधिसम्मत् है। अपीलांट को जिस उद्देश्य के लिए आराजी आवंटित की गयी थी, उस उद्देश्य के लिए अपीलांट द्वारा 2 वर्ष तक कुछ भी कार्य नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन की शर्त सं0 7 की पालना भी नहीं की गयी। इसलिए अपीलांट की अपील वर्ष 2006 से आज तक ग्राह्य भी नहीं हुई है। स्पेशल अपील प्रस्तुत करने के कोई

ठोस कारण भी अपनी अपील में अंकित नहीं किये हैं। राजस्व मण्डल द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्यायसंगत होने के कारण अपीलांट की स्पेशल अपील ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज की जावें तथा अपीलांट/प्रार्थी की ओर से उक्त स्पेशल अपील को प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जावें।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन व परिशीलन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 25–07–2006 उन्होंने अपने आक्षेपित निर्णय में अंकित किया है कि शर्त सं0 5 की पालना हेतु एवं आवंटन के दो वर्ष के अन्दर उद्योग स्थापित करने हेतु कोई सार्थक प्रयास समय पर नहीं किये गये हैं। आवंटी द्वारा एक लम्बी अवधि तक शर्त की पालना नहीं की गयी है तथा आवंटी आवंटित भूमि पर दो वर्ष की अवधि में उद्योग स्थापित करने में भी विफल रहने को राजस्व मण्डल अजमेर की एकलपीठ द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रकरण वर्ष 2006 से ग्राह्यता के स्तर पर ही लम्बित है। यह इतनी लम्बी अवधि के बाद भी ग्राह्य नहीं किया गया है।

8– उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् स्पेशल अपील पेश करने की स्वीकृति दिया जाना विधिसम्मत् नहीं है। यह स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्पेशल अपील प्रस्तुत करने हेतु न्यायहित में सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

9– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा विशेष अपील के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते प्रदान किये जाने अनुमति व विशेष अपील ग्राह्यता के स्तर पर ही **खारिज** की जाती है। राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–07–2006 की पुष्टि की जाती है।

10– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य